

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर,
जिला – सरगुजा, (छ.ग.)

Email ID – cmhosurguja@gmail.com,

क्रमांक / 1191 / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2026

अम्बिकापुर, दिनांक 21/08/2026

—:: संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन सूचना ::—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत जिले में स्वीकृत मानव संसाधनों (सेवा प्रदाता एवं कार्यक्रम प्रबंधकीय पदों हेतु) की संविदा भर्ती किये जाने के संबंध में अनुमति प्रदान की गई है। उक्त संबंध में जिले स्तर पर संचालित कार्यक्रम एवं पदनामवार रिक्त पदों की संविदा नियुक्ति दिनांक 31/03/2027 तक के लिए किया जाना है। संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नानुसार तिथि व समय में किया जाना है। छत्तीसगढ़ के निवासी योग्य/पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन प्रारूप में स्पष्ट एवं त्रुटिरहित आवेदन पत्र आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) को उपलब्ध कराया जाना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन प्राप्त ना होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि	:	दिनांक 24/08/2026 से 08/09/2026 शाम 05.00 बजे तक
आवेदन प्रस्तुत करने का पता – कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)		
आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 08/09/2026		शाम 05.00 बजे तक आवेदन कार्यालय में उपलब्ध/जमा होने पर ही आवेदन पत्र को स्वीकार किये जावेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
प्राप्त आवेदनों की सूची का प्रकाशन दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि, दावा आपत्ति निराकरण, लिखित/कौशल/साक्षात्कार परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य समस्त सूचना	:	जिले के शासकीय वेब साइट www.surguja.gov.in के माध्यम से पृथक से सूचित किया जावेगा।

- समस्त आवेदक संविदा नियुक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए जिले के शासकीय वेब साइट www.surguja.gov.in का अवलोकन निरंतर करते रहेंगे।

(विस्तृत विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर

जिला – सरगुजा, (छ.ग.)

Email ID - cmhosurguja@gmail.com



क्रमांक / 1191 / एन.एच.एम. / एच.आर. / 2026

अम्बिकापुर, दिनांक 21/08/2026

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत स्वीकृत जिला स्तरीय मानव संसाधनों (सेवा प्रदाता एवं कार्यक्रम प्रबंधकीय पदों हेतु) की संविदा भर्ती किये जाने के संबंध में प्राप्त अनुमति अनुसार उक्त संबंध में जिला स्तर पर कार्यक्रम एवं पदनामवार रिक्त पदों की संविदा नियुक्ति दिनांक 31/03/2027 तक के लिए किया जाना है।

रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु आवेदन, दिनांक 24/08/2026 से 08/09/2026 तक, पता – कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) में कार्यालयीन समय प्रातः 11:00 बजे से शाम – 05:00 तक आमंत्रित किया जाता है –

आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं आवेदित वर्ग (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का नाम अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

भाग – 'अ'

National Health Mission

S. No.	Programme	Post Name	Salary	No of Post	UR	OBC	SC	ST	Educational Qualification	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NOHP	Dental Surgeons	27,500.00	1	0	0	0	1	MDS with Registration in Chhattisgarh Medical Council is Compulsory OR BDS with Registration in Chhattisgarh Medical Council is Compulsory	मिशन संचालक, रा.स्वा.मि. का पत्र क्र. /एनएचएम/2014/ (एनएस – 1060)/1757 रायपुर, दिनांक 12.12.2014
2	RBSK	MO – AYUSH (M)	25,000.00	1	0	0	0	1 (1 Divyang)	BHMS/BAMS/BUMS Degree Registration from any GOI Recognized (BAMS/BHMS/BUMS) Ayush, Homeo, Unani Registration Board.	मिशन संचालक, रा.स्वा.मि. का पत्र क्र. /एनएचएम/2015/ (NS-283)/735 रायपुर, दिनांक 17.07.2015
3	RBSK	MO – AYUSH (F)	25,000.00	1	0	0	0	1 (1 Divyang)		
4	NHM	Nursing Tutors	22,000.00	1	1	0	0	0	1. BSc Nursing/Post BSc Nursing (Regular) + 1 Year of Work Experience 2. Live Registration of CG Nurses Registration Council.	मिशन संचालक, रा.स्वा.मि. का पत्र क्र. /एनएचएम/2016/ 1458/ 1716 रायपुर, दिनांक 07.11.2016
5	NHM (NTEP)	Sr. Laboratory Technicians	21,000.00	1	0	0	0	1	M.Sc. Medical Microbiology (Regular)/Applied Microbiology (Regular)/General Microbiology (Regular)/Biotechnology (Regular)/Medical Biotechnology (Regular) With 01 Year Experience in TB Culture Lab / Bacteriology. OR B.Sc. Microbiology (Regular)/Biotechnology (Regular)/Biochemistry (Regular) /Chemistry (Regular) Life Science (Regular) With 02 Year Experience in TB Culture Lab/Bacteriology. Passed out from UGC recognised Universities/Intitutions (Common merit list will be prepared.)	मिशन संचालक, रा.स्वा.मि. का पत्र क्र. /एनएचएम/एचआर/2024/ 1648/ 2871 नवा रायपुर, दिनांक 12.12.2024

(Handwritten signatures and marks)

* इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अध्यक्षीन होगी।

6	NHM	Physiotherapist	18,000.00	4	0	0	0	4	Bachelor's degree in Physiotherapy (BPT) with Live Registration in CG Council.	मिशन संचालक, रा.स्वा.मि. का पत्र कं. / एनएचएम/2014/ (एनएस - 1060)/ 1757 रायपुर, दिनांक 12.12.2014
7	NHM + NUHM	Nursing Officer	16,500.00	1	0	0	0	1 (1 Divyang)	BSc Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in CG Nursing Registration Council	
8	SNCU & NBSU	Staff Nurse - SNCU/NBSU, ICU/HDU & LMU	16,000.00	20	8 (2 Divyang)	0	2 (1 Divyang)	10 (4 Divyang)	BSc Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in CG Nursing Registration Council	
9	HWC	Community Health Officer	16,500.00	13	1 (1 Divyang)	0	4 (2 Divyang)	8 (8 Divyang)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course) उत्तीर्ण अभ्यर्थी का छ.ग. नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।	मिशन संचालक, रा.स्वा.मि. का पत्र कं. / एनएचएम/2023/ 48/ 238 नवा रायपुर, दिनांक 27.04.2023
10	RBSK + NUHM	Pharmacists	16,500.00	1	0	0	0	1 (1 Divyang)	Degree or Diploma in Pharmacy (50%) & Live Registration in Pharmacy Registration Council.	मिशन संचालक, रा.स्वा.मि. का पत्र कं. / एनएचएम/2015/ (NS-283)/735 रायपुर, दिनांक 17.07.2015
11	RBSK	Laboratory Technicians	14,000.00	2	0	0	0	2	DMLT/BMLT/Pathology in Para Medical Course With Registration in C.G. Paramedical Council	उप संचालक, रा.स्वा.मि. का पत्र कं. / एनएचएम/2016/ 20/882 रायपुर, दिनांक 12.07.2016
12	NMHP	Secretarial Assistant - NMHP	13,650.00	2	0	0	0	2	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 01 वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	राज्य नोडल अधिकारी (एनएमएचपी) का पत्र कं. / डीएचएस/ एनएमएचपी/2021/349 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16.06.2021
13	NHM (BPMU)	Jr. Secretarial Assistant	12,000.00	1	0	0	0	1	Graduate with at least 1 year Diploma in Computer Application	मिशन संचालक, रा.स्वा.मि. का पत्र कं. / एनएचएम/2014/ (एनएस - 1060)/1757 रायपुर, दिनांक 12.12.2014
14	NHM + NHM (MC)	Jr. Secretarial Assistant - (PADA)	12,000.00	1	0	0	0	1 (1 Divyang)	12th passed with at least 1 year Computer Diploma. कम्प्यूटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान/मंडल/विश्वविद्यालय से होने चाहिए।	
15	NHM	Counselor	12,000.00	1	1	0	0	0	PG Degree/Diploma in Psychology/Counseling/Health Education/Mass Communication/Social Science.	
16	RBSK + NUHM	ANM	12,000.00	5	0	0	0	5 (5 Divyang)	12th Passed, ANM Passed with INC affiliated Training Center & Live Registration in CG Nurses Registration Council.	उप संचालक, रा.स्वा.मि. का पत्र कं. / एनएचएम/एचआर/2022/एनएस-1637/3703 नवा रायपुर, दिनांक 24.02.2022
17	NUHM	Class 4	10,000.00	1	0	0	0	1	10th passed.	
18	UHC	Staff Nurse - (UHC)	16,500.00	2	0	0	0	2	01. BSc Nursing/Post Basic BSc Nursing, 02. General Nursing and Midwifery (GNM) With C.G. Nursing Council Registration. (Final Merit List prepared on the basis of Order of priority. Like 1 & 2)	
19	UHC	Class 4 - (UHC)	10,000.00	1	0	0	1	0	10th passed.	
Total				60	11	0	7	42	----	
नोट: उपरोक्त सारिणी में दिए गए पदों पर पूर्व में राज्य/जिला स्तर से भर्ती की गई है, जिसमें से सरगुजा जिले के आरक्षण रोस्टर के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों पर सरगुजा जिले में प्रचलित आरक्षण रोस्टर के अनुसार सविदा भर्ती लिया जा रहा है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यक्षीन होगी।										

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

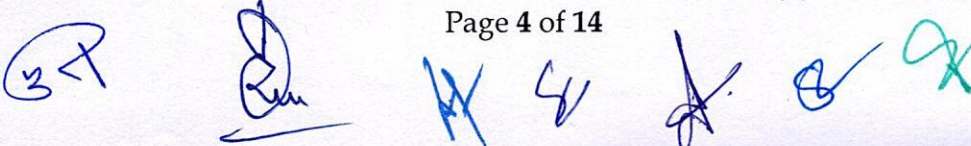
* इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यक्षीन होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती हेतु वर्ष 2026 के संबंध में दिशा-निर्देश
भाग - 'ब'

नोट-

- अभ्यार्थी जिले के शासकीय वेबसाइट www.surguja.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें विज्ञापन से संबंधित समस्त जानकारी समय समय पर वेबसाइट के माध्यम से ही प्रसारित की जावेगी। अन्य किसी माध्यम से जानकारी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी।
1. **भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विशेष निर्देश :-**
- 1.1. उपरोक्त समस्त पदों की नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियायें माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश अध्याधीन होगी। इस संबंध में माननीय उत्तमत न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 का पैरा - 4, 5 एवं 6 निम्नानुसार है:-
4. We therefore, permit the state to go ahead with the selection pocess and make appointment and promotions.
5. However, it is made clear that the same shall be subject to the result of the petition.
6. All appointment and the promotion order shall specifically mentions that such appointments and promotions are subject to the final outcome of the present proceeding.
2. **आवेदन पत्र के संबंध में :-**
- 2.1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य हैं, उक्त संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.2. विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत किया जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन हेतु अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2.3. **आयु सीमा:-** 01 जनवरी 2026 को आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु तथा 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2026 की स्थिति में की जावेगी।
- 2.4. सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत संविदा मानव संसाधन नीति 2018 (यथा संशोधित) के अधीन हैं।
- 2.5. आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन में पदनाम, कार्यक्रम का नाम एवं वर्ग (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का नाम अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।
- 2.6. इच्छुक छत्तीसगढ़ के निवासी आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर, सरगुजा को निर्धारित तिथि/समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 2.7. विज्ञापन जारी होने के उपरांत निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन प्राप्त ना होने पर या अन्य किसी कारणवश विलंब के लिए विभाग/कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। उक्त संबंध में आवेदन स्वीकार/विचार नहीं किया जावेगा ना ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जावेगा।
- 2.8. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा अनावश्यक दस्तावेजों को संलग्न किये जाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- 2.9. अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों को एक साथ टैग लगा कर (धागे में बांध कर) प्रस्तुत करेंगे।
- 2.10. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र केवल शासन/यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था के ही मान्य होंगे।
- 2.11. छ.ग. कौंसिल का (संबंधित विषय अनुसार)/जिला रोजगार कार्यालय का वैद्य, जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.12. यह नियुक्ति संविदा आधार पर एक वित्तीय वर्ष के लिये होगी, जो कि पूर्णतः अस्थायी होगी। नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। वार्षिक कार्यमूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी।
- 2.13. उक्त भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों को उनके योग्यता के आधार पर पात्र-अपात्र करने का अधिकारी जिला स्तरीय चयन समिति को होगा।

* इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्याधीन होगी।



3. चयन प्रक्रिया :-

3.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता - 65% (स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्षों का कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना के औसत के आधार) की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत पर पदनामवार दिए गए सारिणी अनुसार किया जाना है।

3.1.1 ग्रेड सिस्टम शैक्षणिक अर्हता की प्रतिशत में परिवर्तन :- ग्रेड विवरण के अनुसार अभ्यर्थी ग्रेड अंक का प्रतिशत निकालने के लिए औसत प्रतिशत निकालना होगा।

3.1.2 समान ग्रेड/अंक वाले अभ्यर्थी होने की स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। अर्थात् जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।

3.2 कौशल परीक्षा - 20 अंक

पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी।

3.3 अनुभव - 10/15 अंक

अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जावेंगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)।

सारिणी - 1 अनुभव अंक एवं बोनस अंक हेतु -

कं.	विज्ञापित पदनाम	अनुभव अंक 10/15 अंक	बोनस अंक 10 अंक
1	2	3	4
		- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक एवं अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक - अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं का ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। निःशुल्क सेवा अथवा शासकीय निधि से भुगतान नहीं किये गए पदों के अनुभव अंक मान्य नहीं किये जायेंगे। अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित पद का नियुक्ता अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश तथा वेतनमान की प्रति देना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव का अंक अमान्य किया जावेगा। - अनिवार्य अनुभव वाले पदों हेतु मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा किन्तु उन्हें अनुभव का अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा।	अवर सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर का संशोधन आदेश पत्र क्रमांक/एफ 1-67/2021/सत्रह/एक दिनांक 03.02.2023 में प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा।
1	डेंटल सर्जन	कॉलम 03 अनुसार अधिकतम- 10/15 अंक	---
2	चिकित्सा अधिकारी - आयुष (आर.बी.एस.के.)	कॉलम 03 अनुसार अधिकतम- 10/15 अंक	---
3	नर्सिंग ट्यूटर	कॉलम 03 अनुसार अधिकतम- 10/15 अंक	---
4	सिनियर लैब टेक्निशियन	कॉलम 03 अनुसार अधिकतम- 10/15 अंक	बिन्दु क्रमांक 3.4 अनुसार मान्य होगा।
5	फिजियोथेरेपिस्ट	कॉलम 03 अनुसार अधिकतम- 10/15 अंक	---
	1. नर्सिंग ऑफिसर/स्टाफ नर्स 2. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी	बिन्दु क्रमांक 3.4 अनुसार मान्य होगा।	बिन्दु क्रमांक 3.4 अनुसार मान्य होगा।
6	फार्मासिस्ट	कॉलम 03 अनुसार अधिकतम- 10/15 अंक	
7	सेक्रेटेरियल असिस्टेंट	कॉलम 03 अनुसार अधिकतम- 10/15 अंक	
8	जू. सेक्रेटेरियल असिस्टेंट	कॉलम 03 अनुसार अधिकतम- 10/15 अंक	
9	कार्डसलर	कॉलम 03 अनुसार अधिकतम- 10/15 अंक	
10	ए.एन.एम.	ANM/GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए शैक्षणिक योग्यता के अंक, अनुभव के अंक/मितानिन कार्य अनुभव के अंकों को जोड़कर वरीयता सूची बनाई जावेगी। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक एवं अन्य अभ्यर्थियों	

* इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अधधीन होगी।

		को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक, मितानि कार्य अनुभव के प्रतिपूर्ण वर्ष 04 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक प्रदाय किये जावेगे। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के संविदा ए.एन.एम. पदों के लिए उपरोक्त प्रावधान 31 दिसम्बर 2017 तक ए.एन.एम. पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुकी मितानिओं के लिए ही लागू होगा। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।)	
11	चतुर्थ वर्ग	कॉलम 03 अनुसार अधिकतम- 10/15 अंक	

3.4 अनुभव एवं बोनस अंक के संबंध में स्पष्टीकरण- 15/10 अंक

- 3.4.1 अनुभव अंकों की गणना वर्ष के पूर्णांक के आधार पर किया जावेगा। (12 माह की वास्तविक सेवा के अनुसार 01 वर्ष हेतु - 2/3 अंक)
- 3.4.2 कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है एवं सामान्य स्थित में नियुक्त संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हें अनुभव के अधिकतम 15 अंक तक दिया जाना है। इस प्रकार एक ही कर्मचारी को दोनो अनुभव के अंक नहीं दिया जावेगा।
- 3.4.3 अनुभव/बोनस अंक मान्य हेतु - जिन्हे शासकीय मद से सेवा अवधि का मानदेय दिया गया है।
- 3.4.4 अनुभव अंक हेतु 01 वर्ष की (12 माह की वास्तविक सेवा) अवधि पूर्ण होने पर कार्य की प्रकृति/स्वरूप (विज्ञापित पद अनुरूप) के आधार पर नियमानुसार कार्य अनुभव अंक प्रदाय किये जायेंगे।
- 3.4.5 अनुभव/बोनस अंक हेतु अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति एवं शासकीय मद से वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में वेतन पत्रक अथवा शासकीय मद से वेतन प्राप्त होने की पुष्टी हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.4.6 अनुभव अंक हेतु किसी भी आवेदक द्वारा भिन्न-भिन्न 02 या 02 से अधिक स्थापना में कार्य किये जाने के संबंध में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों की वास्तविक गणना को समेकन कर वर्ष के पूर्णांक के आधार पर मान्य करते हुए नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 3.4.7 12 माह से कम अथवा अपूर्ण वर्ष अनुभव के लिए मान्य नहीं होंगे एवं बिना मानदेय (निःशुल्क)/स्वैच्छिक (Voluntary/Honorary) सेवाओं के एवज में प्राप्त किया गया अनुभव को मान्य नहीं किया जायेगा।
- 3.4.8 विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने के उपरांत ही किये गए कार्य हेतु अनुभव अंक मान्य किये जावेगें।
- 3.5 कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा - 20 अंक
- 3.5.1 कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा परीक्षा वाले पदों हेतु - परीक्षा में आवेदकों को कुल अंकों का 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 30% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीदवारों को अपात्र माना जावेगा।
- 3.6 प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर ही स्कूटनी कर अभ्यर्थियों की पात्र/अपात्र सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु जिले के वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी। दावा- आपत्ति निराकरण उपरांत सूची तैयार की जायेगी।
- 3.7 दावा- आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि पश्चात् उक्त संबंध में आवेदन स्वीकार/विचार नहीं किया जावेगा ना ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जावेगा।
- 3.8 अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी - 100 अंक

A. कौशल परीक्षा हेतु -

शैक्षणिक योग्यता	+	अनुभव के अंक
------------------	---	--------------

B. अंतिम चयन सूची -

शैक्षणिक योग्यता	+	अनुभव के अंक	+	कौशल परीक्षा के अंक
------------------	---	--------------	---	---------------------

- 3.9 स्क्रीनिंग/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा लिये जाने के संबंध में - निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/स्कूटनी कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता क्रम सूची बनाई जायेगी एवं निम्नानुसार विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों का मेरिट सूची तैयार किया जावेगा-

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50 होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना
3	50 से अधिक होने पर	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना

* इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यक्षीन होगी।

3.10 शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव/बोनस अंक के संबंध में स्पष्टीकरण – विज्ञापन सारिणी में उल्लेखित अनुसार ही शैक्षणिक योग्यता कमानुसार पात्र आवेदकों को अवसर प्रदान किया जावेगा एवं अनुभव अंक का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को केवल पद से संबंधित कार्य किये जाने पर ही अनुभव अंक का लाभ प्रदान किया जावेगा।
जैसे –

1. डेंटल सर्जन पद हेतु – शासन द्वारा निर्धारित/विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता अनुसार MDS एवं BDS को समान अवसर प्रदान किया जावेगा।
जैसे – निर्धारित शैक्षणिक योग्यता – MDS OR BDS है, आवेदक द्वारा MDS/BDS का अंकसूची जमा किया गया है उक्त प्रस्तुत अंकसूची के आधार पर अधिकतम अंक वाले शैक्षणिक योग्यता MDS/BDS वाले अंकसूची के प्राप्तांकों की गणना किया जावेगा।
डेंटल सर्जन पद हेतु – दन्त चिकित्सक के रूप में सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा (अनुभव अंक हेतु सारिणी 01 का अवलोकन करें)।
 2. चिकित्सा अधिकारी – आयुष (आर.बी.एस.के.) पद हेतु – BHMS/BAMS/BUMS को समान अवसर प्रदान किया जावेगा।
चिकित्सक के रूप में सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा (अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 01 का अवलोकन करें)।
 3. नर्सिंग ट्यूटर पद हेतु – ट्यूटर के रूप में सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा (अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 01 का अवलोकन करें)।
 4. सिनियर लैब टेक्निशियन पद हेतु – लैब टेक्निशियन के रूप में TB Culture Lab/ Bacteriology विभाग में सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा
शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र में कल्चर लैब में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए (कल्चर लैब में कार्य करने के संबंध में अन्य स्पष्टीकरण मान्य नहीं किया जायेगा)। (अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 01 का अवलोकन करें)।
 5. नर्सिंग ऑफिसर/स्टॉफ नर्स/सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद हेतु – पद के अनुरूप स्टाफ नर्स के रूप में सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा (अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 01 का अवलोकन करें)।
 6. फार्मासिस्ट पद हेतु – फार्मासिस्ट के रूप में सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा (अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 01 का अवलोकन करें)।
 7. सेक्रेटेरियल असिस्टेन्ट/जू. सेक्रेटेरियल असिस्टेन्ट पद हेतु – आवेदित पद अनुरूप बैचलर डिग्री/12वीं के साथ एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के रूप में सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा (अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 01 का अवलोकन करें)।
 8. ए.एन.एम. पद हेतु – 12वीं पास एवं ANM कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
ए.एन.एम./मितानिन के रूप में सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा (अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 01 का अवलोकन करें)।
 9. कांऊंसलर पद हेतु – पद के अनुरूप कांऊंसलर के रूप में सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा (अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 01 का अवलोकन करें)।
 10. चतुर्थ वर्ग पद हेतु – 10वीं उत्तीर्ण आवेदकों को अवसर प्रदान किया जावेगा।
चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के रूप में सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा (अनुभव/बोनस अंक हेतु सारिणी 01 का अवलोकन करें)।
 11. अन्य समस्त निर्धारित अर्हताओं हेतु – छ.ग. संबंधित कौंसिल का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य हैं।
 12. संबंधित पदों के कार्य प्रकृति के अनुरूप सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 3.11 विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने के उपरांत ही किये गए कार्यों का कार्य अनुभव मान्य किया जावेगा।
- 3.12 अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं का ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 3.13 बिना मानदेय अथवा स्वेच्छा (Voluntary/Honorary) से किये गए कार्य के संबंध में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र को अनुभव अंक हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।

32

32

32

32

32

32

- 3.14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में वर्तमान में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था/नियुक्तिकर्ता अधिकारी से विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् का बना हुआ अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3.15 आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का वैद्य ई-मेल आईडी तथा दूरभाष संख्या अंकित होना अनिवार्य है।
- 3.16 चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा की जायेगी। उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2027 तक (आर.ओ.पी. 2026-27 में स्वीकृति अनुसार) के लिए होगी कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे।
- 3.16.1 चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट अनुसार की जायेगी।
- 3.16.2 चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.16.3 संविदा नियुक्ति उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।
- 3.16.4 नियुक्ति आदेश में दिए गए पदस्थापना स्थल अपरिवर्तनीय होगा तथा अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की पत्राचार स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त कृत्य को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए कार्यवाही की जावेगी।
- 3.16.5 उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें एवं मूल प्रमाण पत्र साथ में लावे।
- 3.16.6 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान/मंडल/विश्वविद्यालय से होने चाहिए।
- 3.16.6.1 शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का आवश्यकतानुसार यू.जी. सी., ए.आई.सी.टी.आई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्था अमान्य है (इस हेतु वेबसाइट <https://www.ugc.ac.in> का अवलोकन करें)।
- 3.16.6.2 कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री मान्यता प्राप्त संस्थान/मंडल/विश्वविद्यालय से होने चाहिए।
- (1) मान्यता प्राप्त आईटीआई से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट
- (2) मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इंफार्मेशन टेक्नालॉजी/मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (02 वर्ष से अन्यून)।
- (3) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईस/इंफार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।
- (4) DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।
- 3.16.7 शैक्षणिक योग्यता हेतु केवल अंक के आधार पर ही प्रतिशत लिखा जाना अनिवार्य होगा, ग्रेड सिस्टम का अंक में परिवर्तन कर सक्षम अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करा कर आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
- 3.16.8 संविदा नियुक्ति से संबंधित सूचना समय – समय पर कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय एवं जिला कार्यालय, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा कार्यालय जन संपर्क जिला सरगुजा के सूचना पटल के साथ साथ जिले के शासकीय वेबसाइट www.surguja.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। भर्ती के संबंध में अन्य किसी भी माध्यम से सूचना का प्रसार/पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- 3.16.9 आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

* इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्यक्षीन होगी।

3.17 प्रतीक्षा सूची:-

- 3.17.1 प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 26 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों के लिए 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।
- 3.17.2 वर्तमान जारी विज्ञापन अंतर्गत कार्य उपस्थिति के उपरांत पद त्याग अथवा अन्य माध्यम से रिक्त हुए पदों को रिक्त हुए वर्ग से प्रतीक्षा क्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति किया जावेगा।
- 3.17.3 अंतिम चयन सूची व प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी न्यूनमत एक वर्ष या अगली नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होने तक वैध रहेगी।
- 3.17.4 प्रतीक्षा सूची हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने, जारी सूची से पदभार ग्रहण करने उपरांत त्याग पत्र प्रस्तुत करने अथवा अन्य माध्यम से रिक्त हुए पदों को प्रकाशित प्रतीक्षा सूची में से प्रथमक्रमानुसार अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जावेगा।
- 3.18 अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्ति उपरांत कार्यालय में उपस्थिति के समय उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होना होगा-

- ✓ 10 वी की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
- ✓ 12 वी की अंकसूची।
- ✓ स्नातक/स्नातकोत्तर, उपाधि/प्रमाण पत्र (समस्त वर्षों का)।
- ✓ अहर्तानुसार अनिवार्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री/डिप्लोमा (समस्त वर्षों का)
- ✓ छ.ग. काँसिल का (संबंधित विषय अनुसार) जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र (संबंधित है तो)
(अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)
- ✓ विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग (PVTG) अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र (यदि संबंधित है तो)।
- ✓ मूल निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)।
- ✓ जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- ✓ यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र (UDID) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
- ✓ स्वयं पहचान पत्र (ID-Proof, Passport Size Photo) एवं Address Proof
- ✓ अन्य विशेष दस्तावेज (आवश्यकतानुरूप)।
- ✓ अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र - यह केवल शासकीय संस्थान एवं सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों (यथा SHRC) या उपक्रम का ही मान्य होगा।

भाग - 'स'

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश :-

1. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र/प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनों पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक् किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
2. संविदा मानदेय:- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
3. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
4. संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
5. विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला आरक्षण नियमानुसार होगी) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
6. जाति प्रमाण पत्र :-
 - 6.1 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - 6.2 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
 - 6.3 छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।
 - 6.4 छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु प्रथम अनंतिम सूची प्रकाशन की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
 - 6.4.1 शासकीय सेवाओं के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 - 6.4.2 जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - 6.4.3 जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. "अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. एफ 13-19/2012/आ.प्र./ 1-3 नया रायपुर, दिनांक 20/02/2014 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) को तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यपालिक) एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करते हो तो उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्गों के रिक्त पदों पर भर्ती के समय चयन संबंधि निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही सिधे नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु उन्हें 20 प्रतिशत की सीमा तक विशेष सुविधा दिए जाने का लेख है।" उक्त संबंध में विशेष सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए शासन स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

* इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अध्यक्षीन होगी।

8. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
9. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेगे।
10. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
11. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
12. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवा से बर्खास्त किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
13. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
15. कोविड-19 बोनस अंक – केवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) द्वारा जारी अधिकृत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियमानुसार बोनस अंक प्रदान किए जावेंगे।
16. (अ) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(ब) राज्य शासन के आदेश, समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014 में निहित प्रावधानानुसार उक्त पदों के लिए उपयुक्त दिव्यांग पात्र होंगे। मूल प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निःशक्तजनों (Divyang) के लिए चिन्हांकित – निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति, कार्यस्थल का विवरण एवं पद के लिए उपयुक्त निःशक्ता का प्रकार				
क्र.	पदनाम	निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति	कार्यस्थल का विवरण	पद के लिए उपयुक्त निःशक्ता का प्रकार "शब्द संक्षेप"
1	चिकित्सा अधिकारी	मरीजों की जाँच करना, ईलाज करना, शल्य चिकित्सा एवं प्रशासकीय कार्य।	चिकित्सालय में	OA- One Arm (एक हाथ), OL-One Leg (एक पैर)
2	स्टाफ नर्स/ नर्सिंग ऑफिसर/ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी/ एएनएम	नर्सिंग कार्य	चिकित्सालय में	OL-One Leg (एक पैर)
3	फार्मासिस्ट	चिकित्सालय/ड्रग स्टोर में दवाईयों का संधारण व मरीजों को दवाईयां वितरण	चिकित्सालय में	OL-One Leg (एक पैर), BL-Both Leg (दोनों पैर)
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	कम्प्यूटर में डाटा-एंट्री संबंधी कार्य	कार्यालय एवं मैदानी	OA- One Arm (एक हाथ), OL-One Leg (एक पैर), OAL-One Arm & One Leg (एक हाथ एवं एक पैर), BL-Both Leg (दोनों पैर) HH- Hard for Hearing (श्रवण बाधित)

17. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है या निरस्त भी किया जा सकता है। जिसका अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति को होगा।
18. योग्य/पात्र उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।
19. भर्ती प्रक्रिया हेतु उत्पन्न किसी भी प्रकार की न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्य क्षेत्र, जिला सरगुजा (अम्बिकापुर) ही होगी।
20. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति, जिला सरगुजा (छ.ग.) को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य (Final & Binding) होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

* इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अध्यक्षीन होगी।

आवेदन पत्र प्रारूप

आवेदित पद का नाम :- कार्यक्रम का नाम

आवेदित वर्ग का नाम :-

सेवामें,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

स्व
हस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज का
फोटो

- 01 आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) :-
- 02 पिता/पति का नाम :-
- 03 माता का नाम :-
- 04 (अ) जन्मतिथि (अंको में) :-
- (शब्दों में) :-
- (ब) आयु 01 जनवरी 2026 की स्थिति में :- वर्ष.....माह.....दिन.....
- 05 जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) :-
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
- 06 छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या नहीं :-
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
- 07 निवासी जिले का नाम :-
- 08 क्या आप निःशक्तता श्रेणी के हैं - हाँ/नहीं, यदि :-
- हाँ तो निःशक्तता का प्रतिशत एवं प्रकार :-
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (UDID) की प्रति संलग्न करें)
- 09 भूतपूर्व सैनिक हाँ/नहीं :-
- 10 स्थायी निवास का पूर्ण पता :-
-
-
-
- 11 वर्तमान पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :-
-
-
-
- मो.नं. :-
- ई-मेल आई.डी. :-
- 12 संबंधित कौंसिल का नाम (यदि लागू हो) :-
- पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :-
- 13 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :-
- क्रमांक/दिनांक/स्थान :-

* इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अध्यक्षीन होगी।

14 शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	संस्था का नाम का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	अर्जित प्राप्तांक (प्रथम से अंतिम वर्षों का)		अर्जित प्रतिशत	अर्जित % का 65 %
					पूर्णांक	प्राप्तांक		

15 शासकीय सेवा कार्यानुभव यदि कोई हो तो :-

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक	कुल कार्यावधि (कब से कब तक)	कार्य का विवरण / अनुभव का क्षेत्र	वेतनमान

- 16 आवेदक नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित प्रमाण पत्र अवश्य लगावें, अन्यथा जाति/श्रेणी के लिए जो लाभ शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं प्राप्त नहीं होंगे तथा शैक्षणिक योग्यता/अनुभव के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि के अभाव में योग्यता/अनुभव मान्य नहीं होगा।
- 17 क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण दर्ज है :- हाँ/नहीं
- 18 यदि हाँ तो अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्र. एवं निर्णय की जानकारी का उल्लेख करें। :-

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है, जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास में है कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण और सत्य हैं, त्रुटीपूर्ण एवं छिपाकर तथा अपूर्ण और असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा तथा चयन/नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त/समाप्त की जावेगी, मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-

.....

.....

जिला -

* इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अध्याधीन होगी।

५२

- 1 10 वीं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति।
- 2 12 वीं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति।
- 3 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) की अंकसूची (समस्त वर्षों का)।
- 4 अहर्तानुसार अनिवार्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री/डिप्लोमा (समस्त वर्षों का)
- 5 संबंधित कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (संबंधित है तो)।
- 6 सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की प्रति। (संबंधित है तो)।
(अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)
- 7 विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग (PVTG) अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र (यदि संबंधित है तो)।
- 8 सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
- 9 सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र (UDID) की प्रति।
- 10 स्वयं पहचान पत्र (ID-Proof), Passport size photo (1) एवं Address Proof
- 11 रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र की प्रति।
- 12 अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
- 13 अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति। (समान पद पर कार्यरत कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र)
- 14 अन्य प्रमाण पत्र (यदि आवश्यकता है तो)

[illegible]

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

पता :-

.....

.....

छत्तीसगढ़, पिन. नं.

मो. नं.

Page 14 of 14

③      